



सत्यमेव जयते
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

जनजातीय सशक्तिकरण गौरवशाली भारत

जनजातीय कार्य मंत्रालय की
प्रमुख उपलब्धियां
2014-15 से 2022-23





सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

जनजातीय सशक्तिकरण गौरवशाली भारत

जनजातीय कार्य मंत्रालय की
प्रमुख उपलब्धियां
2014-15 से 2022-23

छत्तीसगढ़
के विशेष संदर्भ में





विषयवस्तु

प्रस्तावना

1. परिचय	1
2. मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं.....	2
3. जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: ईएमआरएस	3-7
4. जनजातियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: छात्रवृत्ति	8-10
5. जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई).....	11
6. सतत और लाभप्रद आजीविका	12-14
7. राज्यों को अनुदान	15-19
8. गैर सरकारी संगठन	20
9. वन अधिकार अधिनियम (2006)	21
10. जनजातीय गौरव दिवस	22
शब्दावली	23



सत्यमेव जयते



आजादी का
अमृत महोत्सव

प्रस्तावना

यह हर्ष का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों पर हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के सशक्तिकरण, कल्याण और विकास से संबंधित राज्य-वार पुस्तिकाओं की एक शृंखला प्रकाशित कर रहा है।

इस शृंखला में यह चौथी पुस्तिका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित पुस्तिका है, शृंखला की तीसरी पुस्तिका मध्य प्रदेश दूसरी पुस्तिका राजस्थान और पहली पुस्तिका कर्नाटक राज्य पर आधारित थी। राज्य की अनुसूचित जनजातियों के बारे में तथ्यों के अलावा, यह पुस्तिका छत्तीसगढ़ में लागू की गई मंत्रालय की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

मंत्रालय की प्रमुख योजना “एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)” है जिसमें शुरुआत के बाद से, निर्माण की लागत और प्रति छात्र आवर्ती लागत दोनों में तेजी से वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। इसके अलावा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना ने यह सुनिश्चित किया है कि ये स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बराबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में 73 ईएमआरएस पूरी क्षमता से जनजातीय छात्रों को बेहतरीन शिक्षा सुलभ करवा रहे हैं।

हमारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में डिजिटिकरण और धन की निर्मुक्ति ने प्रक्रियाओं को काफी सरल और उन्हें पारदर्शी बना दिया है। यह गर्व की बात है कि मंत्रालय लगभग चौंतीस (34) लाख मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रों को सार्वभौमिक कवरेज के आधार पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

जनजातियों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय विभिन्न तरीकों से कार्य कर रहा है। ट्राइफेड, जनजातीय उत्पादों के लिए एक विपणन मंच के रूप में काम करने के अलावा, लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के साथ-साथ वन धन विकास केंद्रों का गठन करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र जनजातीय उद्यमियों को नियमानुसार काफी कम ब्याज दरों के साथ-साथ छात्र ऋण भी प्रदान करता है। यह पुस्तिका ऐसी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

बहु-क्षेत्रीय गतिविधियों की परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान पूर्व की जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष घटक सहायता (एससीए) (जिसे अब प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के रूप में भी नया रूप दिया गया है) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक संरक्षण और विकास के लिए योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ ऐसी योजनाओं से लाभान्वित हुआ है और हमें उम्मीद है कि यह मंत्रालय के जनजातियों के विकास के लक्ष्यों में भागीदार बना रहेगा।



सत्यमेव जयते



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रशासित करने के साथ-साथ जनजातीय सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और आजीविका के संरक्षण, और संवर्धन के लिए और जनजातीय लोगों को समझने के लिए हमारे ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

सरकारी योजनाएँ जहाँ कुछ जनजातीय क्षेत्रों में पहुँचने में असमर्थ हैं, वहाँ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान की योजना के द्वारा विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में, जनजातीय समुदायों की मदद की जाती है। इसी तरह, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों ने अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में परियोजनाएँ शुरू की हैं।

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 को जनजातीय आबादी के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में सही रूप से सराहा गया है। यह विशिष्ट रूप से जंगलों और जनजातियों के बीच सहजीवी संबंध को सुनिश्चित करता है। मंत्रालय ने अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को यहां प्रलेखित किया गया है।

अंतिम, बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी आजादी के लिए विदेशी शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले जनजातीय नायकों को सम्मनित करने के लिए, भारत सरकार ने 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। मुझे वर्ष 2021 और 2022 में इस दिन के छत्तीसगढ़ सहित देशव्यापी समारोहों को देखकर खुशी हुई।

मंत्रालय इस बात से भी अच्छी तरह परिचित है कि जनजातियों की एक अनूठी संस्कृति और शक्ति है जो उन्हें कई कठिनाइयों के बावजूद एक संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। वास्तव में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना, जीवन को पूर्णता से जीना और खुशी प्राप्त करने के कई सबक हैं, जो जनजातीय समुदाय बाकी दुनिया को सिखा सकते हैं। यह मंत्रालय इस देश की जनजातीय आबादी को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के बराबर और सर्वश्रेष्ठ लाने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना जारी रखेगा, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान और ज्ञान का प्रसार भी करेगा जो इन विविध समुदायों को राष्ट्र और दुनिया को प्रदान करना है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, पूरे देश के दृष्टिकोण के सहित, हितधारक के साथ साझेदारी में किया जाएगा।


(अर्जुन मुंडा)

➔ 2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या 78,22,902 है और राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6% है।

➔ छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजाति समुदाय और छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश सहित) में 7 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं, जैसे अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कुमार और सहरिया।

➔ जनजातीय विकास और संबंधित मामलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की।

➔ 2021 में भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया।



शिक्षा

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS)	योग्य उम्मीदवारों के लिए सार्वभौमिक
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (Pre-Matric Scholarship Scheme)	
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship Scheme)	
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (शीर्ष श्रेणी) (National Scholarship Scheme)	
राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (National Fellowship Scheme)	चयन द्वारा
राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (National Overseas Scholarship Scheme)	

बहु क्षेत्रीय (Multi Sectoral) योजनाएँ: राज्यों को अनुदान

अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

पीवीटीजी के विकास के लिए योजना

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

शोध, निगरानी और मूल्यांकन

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को सहायता

निगरानी और मूल्यांकन, कार्यक्रम, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा-परीक्षा



ईएमआरएस सोनाखान, छत्तीसगढ़

आजीविका

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

उत्तर पूर्व में जनजातीय उत्पादों का लॉजिस्टिक और मार्केटिंग व्यवस्था

एनएसटीएफडीसी को सहायता



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना

योजना की मुख्य विशेषताएं

- ➔ अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1997-98 में ईएमआरएस की शुरुआत की गई। 2018-19 में इस के लिए विशेष एक अलग योजना बनाई गई।
- ➔ कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए।
- ➔ प्रति स्कूल 480 छात्र।
- ➔ प्रारंभ में अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानित।
- ➔ 740 (452 नए + 288 पुराने) ईएमआरएस को 2026 तक स्थापित किया जाएगा।
- ➔ 5 करोड़ रुपये की दर से 211 पुराने स्कूलों का नवीकरण।
- ➔ प्रति स्कूल 5 करोड़ रुपये की दर से 15 सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स (क्रीडा क्षेत्र) की स्थापना।
- ➔ 28919.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए।



बजट घोषणाएं

2018-19:

“50% या अधिक और 20,000 एसटी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक एक में ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा, जो नवोदय विद्यालय के समकक्ष होगी

2021-22:

“ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 37.8 करोड़ रुपये और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए, 48 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे हमारे आदिवासी छात्रों के लिए मजबूत बुनियादी सुविधाएं बनाने में मदद मिलेगी।”



3.1

जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: ईएमआरएस योजना

छत्तीसगढ़ में अपने परिसर में कार्यशील ईएमआरएस का सारांश

स्कीम	कुल लक्षित ईएमआरएस	कुल स्वीकृत ईएमआरएस	कार्यशील विद्यालय	निर्मित विद्यालय
अनुच्छेद 275 (1)	25	25	25	25
नई योजना	50	49	48	0
कुल	75	74	73	25

जिला स्तर विवरण

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
1	बालोद	डोंडी	डोंडी	358
2	बालोडा बाज़ार	कासडोल	सोनाखान	344
3	बलरामपुर	बलरामपुर	महाराजगंज	359
4	बलरामपुर	सामरी (कुस्मी)	बुलशिकला	240
5	बलरामपुर	वाड्राफनगर	बार्टी कला	240
6	बलरामपुर	राजपुर	नवापरा	180
7	बलरामपुर	रामानुजगंज	देविगंज	180
8	बलरामपुर	शंकरगढ़	डीपाडीह	180
9	बस्तार	बाकवंद	करपावद	409
10	बस्तार	बस्तार	बेसोली	420
11	बस्तार	टोकापाल	मावलीभता	240
12	बस्तार	बस्तानार	कोडेनर	180
13	बस्तार	दरभ	छिंदवाड़ा	180
14	बस्तार	लोहंदिगुडा	गाधिया	178
15	बीजपुर	भैरामगढ़	पुस्नर	397
16	बीजपुर	बीजपुर	नुकरपाल	240
17	बीजपुर	भोपालपट्टनम	रुद्ररम	165
18	बीजपुर	उकसाना	दुगैगुडा/अवापल	180
19	विलासपुर	गौरैला 2 (पेंड्रा रोड गोरला)	न्यूजा	178
20	दांतेवाडा	केटेकलियन	पार्शेली	408
21	दांतेवाडा	दांतेवाडा	मेटापल	225



3.2

जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: ईएमआरएस योजना

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
22	दांतेवाडा	गिदाम	फरास्पल	170
23	दांतेवाडा	कुकोंडा	समेली	180
24	धमतरी	नगरी	पाथरडीह	354
25	गरियाबंद	गरियाबंद	केशोदर	359
26	गरियाबंद	मेनपुर	चिंदौला	180
27	गौरेला पेंड्रा मारवाही	मारवाही	डौगरीया	420
28	गौरेला पेंड्रा मारवाही	पेंड्रा (गौरेला-1)	लता	240
29	जंजगिर चंपा	शक्ति	पलादी खुर्द	360
30	जशपुर	बागचा	सन्न	420
31	जशपुर	जशपुर	पांडुल	240
32	जशपुर	कंसबेल	धड़द्रंड	180
33	जशपुर	पैथलगांव	रायरुमाकला (शुकरपारा)	180
34	जशपुर	फरसबहर	फरसबहर	-
35	काबर्डम	बोडला	टारगाँव	411
36	कांकर	अंसगढ़	लामकनहार	411
37	कांकर	कांकर	अंजनी	240
38	कांकर	भानुप्रतापपुर	फारसकोट	180
39	कांकर	दुर्गुकोंदल	भंडारगीरी	180
40	कांकर	नरहरपुर	सुरी	180
41	कोंडागान	कोंडागान	गोलवंद	418
42	कोंडागान	बेड राजपुर	-	180
43	कोंडागान	केस्कल	बेडमा	180
44	कोंडागान	माकड़ी	-	180
45	कोंडागान	फारसगांव	चिचादी	180
46	कोरबा	काटघोरा	छुरिखुर्द	418
47	कोरबा	पाली	पाली	240
48	कोरबा	पोंडी अप्रोडा	रामपुर	180
49	कोरिया	खदगावन	पोंडिडिह	418



3.3

जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: ईएमआरएस योजना

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
50	कोरिया	सोनहात	बेलिया	239
51	कोरिया	भरतपुर	-	180
52	महासमुंद	पिथौरा	लाहौद	355
53	मुंगेली	लोर्मा	बंदवा	358
54	नारायणपुर	नारायणपुर	भटपाल	416
55	नारायणपुर	ओरछा	-	240
56	रायगढ़	खारिया	छोट मुंडपार	392
57	रायगढ़	धरमजिगर	बेसी	240
58	रायगढ़	घरघोडा	चट्टतंगढ़	180
59	रायगढ़	लैलुंगा	हेरापुर	60
60	राजनंदगांव	राजनंदगांव	मेंड्री	415
61	राजनंदगांव	मनपुर	खाशफाकदी	240
62	राजनंदगांव	मोहला	चतुर्थि	180
63	सुकमा	सुकमा	सुकमा	360
64	सुकमा	कोंटा	इरेबोरा	234
65	सुकमा	छिंदगढ़	बलातिकारा	180
66	सूरजपुर	भाईथन	शिवप्रसादनगर	396
67	सूरजपुर	ओडगी	पल्दनौली	240
68	सूरजपुर	प्रतिपुर	खोरमा	240
69	सूरजपुर	प्रेमनगर	बकिरमा	180
70	सरगुजा	मेनपैट	कमलेश्वरपुर	379
71	सरगुजा	उदयपुर	रिकि	240
72	सरगुजा	बाटुली	शिवपुर	180
73	सरगुजा	सीतापुर	पेटला / लाहुपानी	180

छात्रगण	
छात्र	छात्रा
9630	9493



3.4 तैयार ईएमआरएस



(ईएमआरएस) सोनाखान, छत्तीसगढ़



(ईएमआरएस) महाराजगंज, छत्तीसगढ़



(ईएमआरएस) लहरौद, छत्तीसगढ़

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

मंत्रालय मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति नाम से 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है।

योजना की उपलब्धियां

- हर साल 30 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिल रहा है।
- छात्रवृत्ति योजना का आरंभ से अंत तक डिजिटलीकरण।
- छात्रवृत्ति सीधे छात्र के खाते में जमा की जाती है।
- डीबीटी पोर्टल, एमआईएस, राज्यों द्वारा डेटा साझा करना।
- ऑनलाइन छात्र सत्यापन प्रक्रिया - 331 विश्वविद्यालयों का एकीकरण - फेलोशिप
- शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा
- राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनिवार्य प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए डिजी लॉकर का उपयोग।
- मंत्रालय की उपलब्धि और पहल का समीक्षात्मक डैशबोर्ड, प्रयास पीएमओ डैश बोर्ड, डीबीटी भारत पोर्टल पर डेटा साझा किया गया।



4.1

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	पाठ्यक्रम कवर किया गया	पात्रता
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (Pre-Matric Scholarship)	कक्षा 9-10	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा 9-10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (Post-Matric Scholarship)	सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा से ऊपर) पाठ्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक के बाद के सभी पाठ्यक्रमों (11 से पीएच.डी स्तर तक) में पढने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र जिन्होंने कक्षा 10 (मैट्रिक) या समकक्ष उत्तीर्ण किया है। माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3क.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)	उत्कृष्ट संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईटी जैसे 265 उत्कृष्ट संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए चयनित छात्र माता-पिता की आय 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3ख.	राष्ट्रीय फेलोशिप (National Fellowship)	पीएचडी, एम.फिल, एकीकृत एम.फिल + पीएचडी	<ul style="list-style-type: none"> एम.फिल, पीएचडी, और एकीकृत एम.फिल + पीएचडी के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 750 फेलोशिप। न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री
4.	राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (National Overseas Scholarship)	स्नातकोत्तर, पीएचडी और विदेश में पोस्टडॉक्टरल	<ul style="list-style-type: none"> विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल के अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 20 नए छात्र। माता-पिता की आय 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।



4.2

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

छात्रवृत्ति योजनाएं: 2014-15 से 2022-23				
	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	
	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी
समस्त भारत				
संचित	252090	11878168	1413333	18485801
औसत/वर्ष	28010	1319796	157037	2053978
छत्तीसगढ़ राज्य				
संचित	24758.56	1465048	45070.51	1370064
औसत/वर्ष	2750.95	162783	5007.83	152229
	राष्ट्रीय फेलोशिप 2014-15 से 2022-23		राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 2015-16 से 2022-23	
	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी
समस्त भारत	54355.46	5697	16576.14	7069
छत्तीसगढ़	1543.24	204	342.25	211
	राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति 2014-15 से 2022-23			
	जारी अनुदान (लाख में)		कुल विद्यार्थी	
समस्त भारत	2026.46		88	
छत्तीसगढ़	59.25		2	



टीआरआई के उद्देश्य

- जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान और मूल्यांकन
- व्यक्तिगत/परिवार आधारित अधिकारों के लिए डेटाबेस तैयार करना
- जनजातीय कला और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रलेखन
- विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता-संवर्धन
- जनजातियों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भ्रमण
- रिपॉजिटरी का विकास और रखरखाव
- नए स्मारकों/संग्रहालयों का निर्माण और रखरखाव
- जनजातीय शोध संस्थानों का भवन निर्माण।

2014-15 से 2022-23 तक टीआरआई छत्तीसगढ़ को जारी अनुदान: 3,522.53 लाख रु.

वित्तीय वर्ष	जारी अनुदान (रु. लाख में)
2014-15	164.50
2015-16	0
2016-17	0
2017-18	168.73
2018-19	504.49
2020-21	0
2021-22	189.04
2022-23	113.43
कुल	1140.19



- ➔ जनजातीय आजीविका के व्यापक एकीकृत विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन शुरू किया गया।
- ➔ देश भर में वन धन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

- ➔ 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास' योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा खरीद के लिए रिवॉल्विंग फंड के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 197.31 लाख रुपये की अनुदान सहायता दी गई है।
- ➔ 6 एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया गया है, अर्थात् जंगली शहद, शिकाकाई, इमली के बीज, पहाड़ी झाड़ू घास, गोंद कराया और मायरोबनल।

योजना के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा खरीदे गए एमएफपी का विवरण:

राज्य	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	कुल योग (वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23)
	खरीद	खरीद	खरीद
	मूल्य (लाख रूपए में)	मूल्य (लाख रूपए में)	मूल्य (लाख रूपए में)
छत्तीसगढ़	15374.10	10191.85	42145.99



6.1

सतत और लाभप्रद आजीविका

वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)

जनजातियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका:

संरचना

- 'पीएमजेवीएम' की योजना के तहत वीडिवीके घटक के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी - ट्राइफेड
- वीडिवीके - जनजातीय उत्पादों/उपज की खरीद मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र
- प्रत्येक वीडिवीके एसएचजी के लगभग 20 सदस्य
- 15 वीडिवीके एसएचजी लगभग 300 सदस्य से एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) का गठन
- मजबूत शासन तंत्र - राज्य नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementation Agency) और परामर्श एजेंसियां

गतिविधियां

- वीडिवीके के संवर्धन, प्रशिक्षण और उपकरण सहायता के लिए ट्राइफेड के माध्यम से एसआईए को 15 लाख रुपये का केंद्रीय अनुदान
- वीडिवीके - मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, और ब्रांडिंग के लिए जनजातीय स्टार्ट-अप
- मोबाइल ऐप और जीआईएस के माध्यम से सभी जनजातीय लाभार्थियों, वीडिवीके एसएचजी और वीडिवीके का डिजिटलीकरण
- गुणवत्ता जांच के माध्यम से वीडिवीके का पैनल, ट्राइफेड 'ट्राइब इंडिया, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से बिक्री

समस्त भारत

कवरेज (मार्च, 2023 तक)

मध्य प्रदेश

10,63,290

लाभार्थी



41,700

लाभार्थी

55,036

वन धन - एसएचजी



3555

वीडीवीके



139

वीडीवीके

रुपये **52,777.05** लाख रुपये की स्वीकृत निधियां



रुपये **2,085** लाख रुपये की स्वीकृत निधियां



6.2 सशक्त आजीविका

एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं:



Term Loan

- 50.00 लाख रु. प्रति यूनिट तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए
- एनएसटीएफडीसी से 90% तक की सहायता और शेष राशि सब्सिडी/मार्जिन मनी आदि के माध्यम से पूरी की जाती है
- ब्याज दर 6-8-10% के बीच में



Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana (AMSY)

- अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक विशेष योजना
- 2 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक की वित्तीय सहायता
- 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर



Micro Credit Scheme

- एसटी एसएचजी के सदस्यों की लघु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
- 50,000 रुपये प्रति सदस्य की सीमा के साथ प्रति एसएचजी 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता
- ब्याज दर 6% प्रति वर्ष



Adivasi Shiksha Rrinn Yojana

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- एनएसटीएफडीसी से 90% तक की सहायता, प्रति परिवार 6% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये* का ऋण।



(रु0 लाख में)

राज्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण						
छत्तीसगढ़	363	533.55	3787	932.16	236	197.49	1107	1398.99



बहु-क्षेत्रीय योजनाएं (Multi Sectoral Schemes):

➔ विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य को अनुदान निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान किया जाता है:

क. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

ख. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) (जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना)

ग. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना ।

➔ नीचे दिए गए क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य को दिए गए अनुदान:

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पोषण
- बुनियादी ढांचे का विकास
- सड़क संपर्क
- खेल - कूद
- बाजार और मूल्य शृंखला विकास
- आजीविका
- स्वास्थ्य
- पशुपालन
- सिंचाई और जल विभाजन प्रबंधन
- पेय जल
- पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco-Tourism)
- कला और संस्कृति



7.1 राज्यों को अनुदान

पीवीटीजी के विकास के लिए योजना

मुख्य विशेषताएं

- ➔ 75 पीवीटीजी - 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
- ➔ छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजाति समुदाय और छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश सहित) में 7 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं, जैसे अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कुमार और सहारिया।
- ➔ योजना के अंतर्गत क्षेत्र: शिक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, इत्यादि।

2014-15 से 2022-23 तक छत्तीसगढ़ को जारी अनुदान: 12201.95 लाख रु.

क्र. सं.	छत्तीसगढ़ राज्य को स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं (योजना के तहत - पीवीटीजी के लिए सीसीडी योजना)
1.	पीवीटीजी आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए आवर्ती व्यय
2.	क्रेडा द्वारा सौर सुजला योजना से बोरवेल सहित सोलर पंप की स्थापना
3.	जैविक खेती को बढ़ावा-जैविक भोजन का उत्पादन
4.	पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ 9 पीवीटीजी आवासीय विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) की स्थापना, प्राथमिक छात्रों के लिए आवर्ती घटक और 100 सीटों वाल पीवीटीजी आवासीय विद्यालयों में 9 आवासीय एच प्रकार ब्लॉक में शिक्षकों के आवास का निर्माण
5.	रोजगार-सह-आय सृजन कार्यक्रम-कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम



7.2 राज्यों को अनुदान

जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना (टीएसएस को एससीए)

जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना (टीएसएस को एससीए) के तहत 2014-15 से 2020-21 तक छत्तीसगढ़ को जारी अनुदान *: 75208.77 लाख रु.

क्र. सं.	छत्तीसगढ़ राज्य को स्वीकृत प्रमुख की परियोजनाएं (योजना के तहत - टीएसएस को एससीए)
1	छात्रावासों का निर्माण
2	आश्रम विद्यालयों एवं छात्रावासों का उन्नयन
3	बैंक से जुड़ा स्व-रोजगार
4	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना
5	सिंचाई
6	मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां
7	आजीविका गतिविधियाँ
8	छात्रावासों का निर्माण

* जनजातीय उप-योजना जिसका नामकरण 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) है, 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता को संशोधित किया है।



7.2.1 राज्यों को अनुदान

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

अखिल भारतीय

उद्देश्य

चिन्हित अंतरों के आधार पर 36,428 गांवों का व्यापक विकास।

मानदंड

कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले गाँव।

- ➔ प्रशासनिक व्यय सहित स्वीकृत गतिविधियों के लिए अंतर भरण (गैप फिलिंग) के रूप में प्रति ग्राम 20.38 लाख रुपये।

(रु0 लाख में)

राज्य	गाँवों की कुल संख्या	2021-22		2022-23	
		स्वीकृत गाँव	कुल निर्मुक्त	स्वीकृत गाँव	कुल राशि
छत्तीसगढ़	4029	1530	15595.80	733	23021.82



7.3 राज्यों को अनुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) प्रावधानों के तहत अनुदान

2014-15 से 2022-23 तक छत्तीसगढ़ को जारी की गई निधियां: रु.113147.70 लाख रु.

क्र. सं.	छत्तीसगढ़ राज्य को स्वीकृत उच्च मूल्य की परियोजनाएं (योजना के तहत - अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान)
1	टीएसपी क्षेत्र में 500 सीटों वाले छात्रावास का निर्माण
2	9 नये ईएमआरएस का निर्माण
3	“प्रयास” विद्यालय भवन का निर्माण
4	35 (50 सीटर) प्री-मैट्रिक छात्रावास भवन का निर्माण
5	50 छात्रावास भवनों का निर्माण
6	7 ईएसआरएस का उन्नयन
7	बस्तर संभाग में जनजातीय विकास के अंतर्गत संचालित आश्रम विद्यालयों में कम्प्यूटर
8	इंजीनियरिंग/मेडिकल/सीएलएलएलटी/एनडीए आदि कोचिंग के लिए ईएसआरएस ड्रॉपर छात्रों के लिए छात्रावास-सह-कोचिंग सेंटर का निर्माण
9	छात्रावास/आश्रम में कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला की स्थापना



गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

‘अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता’ की योजना के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाना और सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतरों को कम करना है।

योजना	सांकेतिक परियोजनाएं
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान	आवासीय विद्यालय
	गैर आवासीय विद्यालय
	छात्रावास
	10 बिस्तरों वाला अस्पताल
	सचल औषधालय
	बालिकाओं के लिए शैक्षिक परिसर और छात्रावास (अनुसूचित जनजाति की कम साक्षरता वाले जिलों में)

गैर सरकारी संगठन को अनुदान

	2014-15	2022-23
बजट परिव्यय	44.38 करोड़ रुपये	74.32 करोड़ रुपये
अनुदान प्रबंधन तंत्र	पूरी तरह से मैनुअल (पद्धति से)	पूरी तरह से ऑनलाइन (पद्धति से)

2014-15 से 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ में काम कर रहे एनजीओ को कुल जारी सहायता अनुदान: 9.75 करोड़ रु.।



मुख्य विशेषताएं

- ➔ 'एफआरए, 2006' में वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य परंपरागत वनवासियों (ओटीएफडी) के वन अधिकारों और वन भूमि में अधिकार को मान्यता देने और निहित करने के प्रावधान हैं
- ➔ एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है
- ➔ 31.03.2023 तक, एफआरए 2006 के तहत कुल 45,44,886 दावे (43,64,312 व्यक्तिगत और 1,80,574 समुदाय) दर्ज किए गए हैं और 1,75,68,573.88 एकड़ (व्यक्ति के लिए 46,57,605.58 एकड़ और समुदाय के लिए 1,39,10,968.30 एकड़) वन भूमि में 23,07,712 टाइटल (21,99,012 व्यक्तिगत और 1,08,700 समुदाय) वितरित किए गए हैं।
- ➔ एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों द्वारा संयुक्त-पत्र जारी किया गया है।

31.03.2023 तक प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में एफआरए के कार्यान्वयन का विवरण:

मद	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल
प्राप्त दावों की संख्या	8,77,173	50,988	9,28,161
संवितरित अधिकार-पत्रों की संख्या	4,57,145	45,965	5,03,110
वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित (एकड़ में)	9,19,324.13	49,47,209.61	58,66,533.74



2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती “15 नवंबर” को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित की गई और पूरे देश में 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह हर्षोल्लास व अभिमान से मनाया गया।

मुख्य विशेषताएं (जनजातीय गौरव सप्ताह)

2021

- ➔ माननीय प्रधान मंत्री ने संसद परिसर, नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- ➔ माननीय प्रधान मंत्री ने राँची में “भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय” का उद्घाटन किया
- ➔ गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मणिपुर के तमेंगलॉग में रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी गई।

2022

- ➔ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- ➔ माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- ➔ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष वीडियो संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए देश ‘पंच प्राण’ की ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है

02

भोपाल महासम्मेलन में 02 लाख से अधिक जनजातीय लोग शामिल हुए

30.5

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की पहुंच हासिल की

133

जनजातीय गौरव सप्ताह (15-22 नवंबर, 2021) के दौरान आयोजित कार्यक्रम

401

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जनजाति गौरव दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के साथ मनाया जाता है

50

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा देशभर में एकलव्य आदर्श विद्यालयों की शिलान्यास

80

जनजातीय गौरव सप्ताह (15-22 नवंबर 2022) के दौरान आयोजित कार्यक्रम

माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह और जनजातीय कार्य और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री विश्वेश्वर टुडु, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने उत्सवों में सक्रिय रूप में भाग लिया और जनजातीय गौरव दिवस 2021-22 को बढ़ावा दिया।



- पीवीटीजी - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
- ईएमआरएस - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
- पीएम-एएजीवाई - प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
- टीआरआई - जनजातीय शोध संस्थान
- पीएमजेजेवीएम - प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
- एनएसटीएफडीसी - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
- वीडीवीके - वन धन विकास कार्यक्रम/वन धन विकास केन्द्र
- एससीए - विशेष केंद्रीय सहायता
- टीएसएस - जनजातीय उप योजना
- एफआरए - वन अधिकार अधिनियम





सत्यमेव जयते
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार